

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 464/अनुदेश/2016/ईपीएस  
सेवा में,

तारीख 28 अप्रैल, 2016

सभी राष्ट्रीय/राज्य दलों के अध्यक्ष

**विषय : चरम ग्रीष्म दिवसों के दौरान सभाओं के आयोजन के बारे में परामर्श (एडवाइजरी)।**

महोदय/महोदया,

आयोग को मौजूदा चरम ग्रीष्म दिवसों के अपराह्न/दिन के समय में वर्तमान कष्टकारी ताप की स्थितियों में आयोजित जन सभाओं के दौरान नागरिकों को हो रही गंभीर कठिनाई के बारे में कुछ राजनैतिक दलों सहित विभिन्न हितधारियों (स्टेकहोल्डर्स) और नागरिक समूहों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। आयोग के ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं भी लाई गई हैं जहां कुछ व्यक्तियों की सभाओं के दौरान निर्वाचन प्रचार अभियान में सभा स्थल पर प्रचंड ताप के कारण मृत्यु हो गई है।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वे मौजूदा पीक ग्रीष्म माह के दौरान प्रचंड ताप की स्थितियों में जन सभाएं आयोजित करने से बचें। आगे, यह भी अपेक्षा की गई है कि जनसभा के आयोजन स्थल पर भीषण गर्मी से सभा में आए नागरिकों को बचाने के लिए शेड/आश्रय, पेयजल, चिकित्सा सहायता की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। राजनैतिक दल भी जनता के फायदे एवं सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार सुविधाओं का पर्याप्त इंतजाम करें ताकि कठिन स्थिति में किसी मानव जीवन को खतरा न हों।

इस प्रकार, आयोग सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं/प्रचारकों को सलाह देता है कि वे प्रचार करते समय उपर सुझाए गए इंतजामों को ध्यान में रखें।

भवदीय

(सुमित मुखर्जी)  
सचिव

प्रति प्रेषित : 1. मुख्य सचिवों के इस निदेश के साथ कि वे परामर्श (एडवाइजरी) की प्रति सभी राजनैतिक दलों या निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को भेजें।

2. एस डी आर अनुभाग।